Government of Rajasthan
कार्यालय श्रम आयुक्त
Office of the Labour Commissioner
श्रम विभाग, जयपुर (राज0)
Labour Department, Opp. NBC Factory, Shanti Nagar, Hasanpura, Jaipur (Raj.)
दूरभाष / Phones : (0141)2450781- (0141) 2450782 (Tele-fax), 2450793, (0141) 2450783-84 (PABX), BOCW (0141) 2222961 & 2222161
(Website – Labour.rajasthan.gov.in) (E.mail- lab-comm-rj@nic.in)

क्रमांकः एफ.2(11)(394)सामान्य/स्था/17/7327 जयपुर, दिनांकः 30.3.2020

समस्त संयुक्त/उप/सहायक एवं
श्रम कल्याण अधिकारी,
राजस्थान ।

विषयः कोरोना वायरस (कोविड–19) के चलते अतिरिक्त उपाय करने के सम्बन्ध में ।

केन्द्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने डिजास्टर मेनेजमेन्ट अधिनियम के तहत गठित नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमेन के नाते समस्त राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त उपाय करने सम्बन्धी निर्देश जारी किये हैं । इस क्रम में शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार दवारा सभी जिला कलक्टर्स को निम्नलिखित निर्देश जारी किये हैं :–

1. कोई नियोक्ता लॉक–डाउन की अवधि में किसी भी श्रमिक को नियोजन से विमुक्त नहीं करें ।
2. सभी नियोक्ता अपने यहां नियोजित श्रमिकों को नियत तिथि को पारिश्रमिक/वेतन दिया जाना सुनिश्चित करें ।
3. सभी नियोक्ता इण्डस्ट्री/दुकान या वाणिज्यिक संस्थान अपने कार्मिकों को लॉक–डाउन के दौरान बिना किसी कटौती के पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें ।
4. कोई मकान मालिक लॉक–डाउन की अवधि के दौरान किसी श्रमिक से मकान खाली न करावें ।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अपने जिले में चल रही कन्स्ट्रक्शन साईटों पर यदि कोई श्रमिक/प्रवासी श्रमिक भोजन, दवा आदि से वंचित हैं तो उनका पता लगावें और इसकी सूचना अपने जिले के कन्ट्रोल रूम को अविलम्ब उपलब्ध करावें । एवं यह सुनिश्चित करें कि उक्त दिहाडी मजदूर को भोजन, दवा आदि की व्यवस्था नियोक्ता अथवा जिला प्रशासन दवारा उपलब्ध करवाई जा रही है । आपके दवारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रगति से समय समय पर मुख्यालय को भी सूचित करें ।

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त,
जयपुर (राज0) ।

Scanned with CamScanner